भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3510

उत्तर देने की तारीख : 24.03.2022

एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्तीय राहत पैकेज

3510. डॉ. शशि थरूर :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** क्या सरकार वर्ष 2020 में घोषित किए गए प्रधानमंत्री के बीस ट्रिलियन रुपयों के राहत पैकेज से एमएसएमई में किए गए व्यय का रिकॉर्ड रखती है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) **:** क्या वर्ष 2020 में आरबीआई द्वारा घोषित किए गए 50,000 करोड़ रुपए के टीएलटीआरओ से छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसी और एमएफआई लाभान्वित हुए हैं;

(घ) : यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) : क्या चीन से आयात पर निर्भरता कम करने और भारत में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) : क्या सरकार ने आर्थिक पुनरुद्धार के लिए पेश किए गए प्रोत्साहन पैकेज के संबंध में स्थायी समिति के आकलन को 'अपर्याप्त' बताया है और इसीएलजीएस योजना के माध्यम से ऋण की पेशकश करने के बजाय नकदी प्रवाह में सुधार के लिए ''व्यापक आर्थिक पैकेज'' प्रदान करने पर विचार किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ख) : 18 मार्च 2022 तक, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)/आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 1.18 करोड़ एमएसएमई को 3.23 लाख करोड़ रुपये की राशि का 100 प्रतिशत गारंटीड कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। 14 मार्च 2022 तक, दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण (सीजीएसएसडी) की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 84.40 करोड़ रुपये की 765 गारंटी अनुमोदित की गई हैं। जीईसीएल और सीजीएसएसडी का राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुबंध I और II में दिया गया है।

(ग) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, टीएलटीआरओ 2.0 के तहत 25,000 करोड़ रुपये के लिए पहली नीलामी 23 अप्रैल, 2020 को आयोजित की गई थी और बैंकों ने इससे 12,850 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी।

(ङ) : भारत सरकार ने चीन के साथ अधिक संतुलित व्यापार स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिसमें चीन को किए जाने वाले भारतीय निर्यात पर गैर-टैरिफ बाधाओं के निराकरण के लिए दोनों पक्षों का इसके लिए कार्य करना भी शामिल है। सरकार ने अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरुद्ध व्यापार उपचार (एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटी आदि) के रूप में भी उपाय किए हैं और तकनीकी नियमों को तैयार किया है और निम्न गुणवत्ता वाले आयातों की जांच के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। वैकल्पिक स्रोतों से महत्वपूर्ण आपूर्ति प्राप्त करने और घरेलू सक्षमताओं को बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जागरूक करने के भी प्रयास किए गए हैं।

सरकार निरंतर आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर बदलाव करती है कि भारत एक आकर्षक देश और निवेशकों के अनुकूल गंतव्य बना रहे। इसका उद्देश्य उन नीतिगत रुकावटों को दूर करना है जो देश में निवेश प्रवाह में बाधा बन सकती हैं। शीर्ष उद्योग मंडलों, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए गहन परामर्श के बाद नीति में परिवर्तन किए जाते हैं।

(च) : एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु, सरकार ने एमएसएमई के संवर्धन में इक्विटी अथवा अर्द्ध-इक्विटी के रूप में एमएसएमई को ग्रोथ कैपिटल जैसी निधि सहायता देने के लक्ष्य को लेकर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की उद्घोषणा की है। आरबीआई द्वारा दी गई सूचनानुसार एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह में संशोधन करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

I. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में कॉलेटरल सिक्योरिटी स्वीकार न करने के लिए अधिदेशित किए गए हैं।
II. एमएसई इकाई की 5 करोड़ रुपए तक की उधार संबंधी सीमा के लिए उन इकाइयों की कार्यशील पूंजी मांगो की गणना बैंकों द्वारा प्रक्षेपित वार्षिक टर्नओवर के न्यूनतम 20% की सरलतम प्रणाली के आधार पर की जानी है।
III. एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या को समाधान हेतु, आरबीआई ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना एवं संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं।
IV. सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ब्याज दर अवकलन किया जाना।
V. मौद्रिक नीति संचरण के सुधार के विचार से, बैंकों को सुझाव दिया गया है कि वे 1 अक्टूबर, 2019 से बाहरी सुधार बेंचमार्क से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के ऋणों को जोड़े।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3510, जिसका उत्तर 24.03.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के संदर्भित अनुबंध

18-03-2022 के अनुसार ईसीएलजीएस राज्यवार डेटा		
राज्य का नाम	जारी की गई गारंटियों की संख्या	लोन गारंटी राशि (करोड़ रुपए में)
अंडमान और निकोबार	2,094	133.59
आंध्र प्रदेश	2,89,579	11,747.77
अरुणाचल प्रदेश	2,368	93.23
असम	5,52,247	3,437.2
बिहार	8,27,480	4,879.41
चंडीगढ़	7,153	1,182.95
छतीसगढ़	2,00,351	5,619.53
दादरा और नगर हवेली	2,285	411.5
दमन और दीव	1,030	193.71
दिल्ली	1,05,205	21,064.02
गोवा	12,776	1,309.8
गुजरात	3,72,809	30,178.41
हरियाणा	2,04,832	15,061.79
हिमाचल प्रदेश	50,799	2,244.73
जम्मू और कश्मीर	68,265	2,366.17
झारखंड	2,99,621	3,750.7
कर्नाटक	8,79,752	21,723.19
केरल	5,38,484	10,827.28
लद्दाख	1,032	53.61
लक्षदीप	371	2.1
मध्य प्रदेश	5,69,879	10,318.97
महाराष्ट्र	10,15,379	52,423.15
मणिपुर	10,548	132.15
मेघालय	11,486	223.8S
मिजोरम	3,855	63.23
नागालैंड	7,550	75.99
ओडिशा	9,37,994	6,074.01
पांडिचेरी	22,683	5S4.5S
पंजाब	2,16,420	10,370.46
राजस्थान	5,53,160	16,527.5
सिक्किम	8,342	126.4
तमिलनाडु	8,92,736	34,998.92
तेलंगाना	1,46,096	13,754.57
त्रिपुरा	62,579	289.6
उत्तर प्रदेश	8,18,630	19,934.3
उत्तराखंड	74,241	30,42.06
पश्चिम बंगाल	20,27,446	18,375.14
कुल	1,17,97,557	3,23,565.54

स्रोत: वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय

अनुबंध-।।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3510, जिसका उत्तर 24.03.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के संदर्भित अनुबंध

सीजीएसएसडी के तहत राज्यवार गारंटी कवरेज - 14 मार्च, 2022 तक संचयी			
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित गारंटी राशि (लाख रुपए में)**
1	अंडमान और निकोबार	1	3.50
2	आंध्र प्रदेश	30	418.25
3	अरुणाचल प्रदेश	1	36.00
4	असम	9	125.15
5	बिहार	17	48.43
6	चंडीगढ़	7	59.56
7	छत्तीसगढ़	11	54.40
8	दमन और दीव	2	14.00
9	दिल्ली	21	339.91
10	गुजरात	24	241.54
11	हरियाणा	6	93.83
12	हिमाचल प्रदेश	18	150.59
13	जम्मू और कश्मीर	26	142.46
14	झारखंड	21	166.79
15	कर्नाटक	50	979.83
16	केरल	28	429.04
17	मध्य प्रदेश	42	366.29
18	महाराष्ट्र	80	1,070.19
19	मिजोरम	2	1.27
20	ओडिशा	39	142.39
21	पंजाब	81	826.78
22	राजस्थान	28	177.80
23	तमिलनाडु	89	1,154.88
24	तेलंगाना	33	450.32
25	उत्तर प्रदेश	61	591.53
26	उत्तराखंड	13	150.13
27	पश्चिम बंगाल	25	205.66
कुल		**765**	**8,440.50**

स्रोत- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)